न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी– अभिमन्यु सिंह कुन्तल, आर0 ए0 एस0

मुकदमा नम्बर– राजस्व प्रार्थना पत्रः– 90/2022 दायर तारीखः–16.10.2024

1. कानाराम उम्र 39 साल
2. किशनाराम उम्र 43 साल
3. छीतरमल उम्र 52 साल

समस्त पुत्रान मेवाराम, जाति जाट निवासीयान तुरक्यावास तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

4. बरजी देवी पत्नि मेवाराम जाति जाट निवासी तुरक्यावास तह0 जोबनेर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
2. मंगलीदेवी पत्नि मालाराम उम्र 45 साल
3. जोधाराम पुत्र बुधाराम उम्र 55 साल
4. बन्नाराम पुत्र बुधाराम उम्र 50 साल
5. मालाराम पुत्र बुधाराम उम्र 60 साल
6. श्रवणलाल पुत्र बुधाराम उम्र 45 साल
7. भंवरीदेवी पत्नि जोधाराम उम्र 50 साल
8. कजोडमल पुत्र सवाई उम्र 45 साल
9. चन्द्रीदेवी पुत्री सवाई उम्र 50 साल
10. रतनदेवी पुत्री सवाई उम्र 42 साल
11. मंगलाराम पुत्र बिरदा उम्र 60 साल
12. हनुमान पुत्र बुधाराम–फौत के बजायः–

12/1 झूंथाराम पुत्र स्व0 हनुमान उम्र 52 साल

12/2 दानाराम पुत्र स्व0 हनुमान उम्र 48 साल

12/3 रूपनारायण पुत्र स्व0 हनुमान उम्र 42 साल

12/4 लाडादेवी पत्नि हनुमान उम्र 72 साल

13. झमकू देवी पत्नि सुखाराम उम्र 55 साल
14. गोपाल पुत्र रामू
15. संजय पुत्र रामू

समस्त जाति जाट निवासीयान तुरक्यावास तहसील जोबनेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित– 1. श्री प्रेम चन्द भहरडा – विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री हनुमान जाखड– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2लगा07

3. सरकार पैरोकार

निर्णय

दिनांक 31.05.2024

प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख0न0 16/4 रकबा 1.1254 है0 ख0नं0 17/1 रकबा 0.0126 है0 वाकै ग्राम तुरक्यावास पटवार हल्का भोजपुरा कंला भू0अभि0नि0क्षेत्र हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित है इस प्रकार उक्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर काबिज होकर प्रार्थीगण उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग करते आ रहे प्रार्थीगण की आराजी ख0न0 16/4,17/1 के नजदीक खातेदारान अप्रार्थी सं02 लगायत 15 की आराजी

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

है तथा अप्रार्थीगण सं0 3,14 व 15 आयेदिन प्रार्थीगण से सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न कर झगडा फिसाद पर आमादा रहे है तथा आराजी की सीमा संबंधित अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रखा है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की आराजी ख0न0 16/4 व 17/1 की सीमा का ज्ञान करवाने हेतु नियमानुसार प्रार्थीगण सं01 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 1/6/2022 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण की आराजी ख0न0 11/3,16/3,16/4 व 17/1 व 9/3 का सीमाज्ञान कर रिपोर्ट तैयार की गई।

हल्का पटवारी रलावता ने प्रार्थीगण की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर उपरोक्त रिपोर्ट तैयार कर अप्रार्थी सं01 के कार्यालय में प्रस्तुत की जिसके पश्चात भी प्रार्थीगण की आराजी की सीमा संबंधित विवाद उत्पन्न हो रखा है। इस कारण प्रार्थीगण मुताबिक फर्द रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 1/6/2022 के अनुसार प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी ख0न0 16/4 व 17/1 के पत्थरगढी करवाना चाहते है जिससे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके और सीमा संबंधित कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न नही हो। इस संबंध में प्रार्थीगण ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी सं01 के समक्ष जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया जिस पर अप्रार्थी सं01 ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के कार्यालय के सीमा ज्ञान की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 20/6/2022 को प्राप्त की। इसलिए प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजि0एडी0 नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 11, अप्रार्थीगण संख्या 12/1 लगायत 12/14 एवं अप्रार्थीगण संख्या 14 लगायत 15 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 मय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम तुर्कियावास पटवार हल्का भोजपुरा में स्थित उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है तथा प्रार्थीगण द्वारा उपयोग उपभोग नहीं किया जा रहा है। मौके पर सीमा का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी का उक्त जमीन पर कब्जा नहीं है। अप्रार्थी सं0 3 लकवाग्रस्त है। चलने फिरने में समर्थ नहीं है। प्रार्थीगण ने अपनी जमीन का सीमाज्ञान पाडोसी खातेदारान की उपस्थिति मे नही करवाया। हल्का पटवारी मौके पर नही गया। 01.06.2022 को हल्का पटवारी मौके पर नही गया। समाज्ञान की कार्यवाही नही की गई। उक्त जमीन हल्का पटवारी रलावता के क्षेत्र में नही आती है। हल्का पटवारी रलावता मौके पर नहीं गया था। हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में सीमा विवाद के बारे में जानकारी नही दी है तथा हल्का पटवारी द्वारा यह भी नही बताया गया है कि कौनसी दिशा में किस सीमा पर विवाद है। कौनसे पडोसी खातेदारो ने प्रार्थीगण की जमीन पर कब्जा काश्त कर रखा है। यह भी स्पष्ट का जानकारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में नही दी गयी। हल्का पटवारी द्वारा विवादीत जमीन की नाप चौक अपनी रिपोर्ट में नहीं दर्शायी गई है। इसलिए इस प्रकार की रिपोर्ट विधिक मान्य नही है। हल्का पटवारी से सभी खातेदारों को सूचित कर पुनः सीमाज्ञान की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक प्रार्थना पत्र के पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता 2 लगायत 7 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर (ग्रामीण)

तहसीलदार जोबनेर द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम तुरक्यावास के आराजी खसरा नं0 11/3, 16/3, 16/4, 17/1 एवं 9/3 का मौका देखा गया। भूमि वर्तमान मे मौके पर खाली है। तथा ख0नं0 16/4 मे मकानात बने हुये है। प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा नं0 16/4 एवं 17/1 की पत्थरगढी करवाना चाहते है। उक्त वर्णित खसरों का सीमाज्ञान पालना रिपोर्ट पटवार हल्का भोजपुरा कलां द्वारा पूर्व में भिजवाई जा चुकी है। मौके पर सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी की कार्यवाही की जानी उचित है। अतः पत्थरगढी के आदेश फरमाया जाना उचित है ताकि प्रकरण निस्तारित किया जा सके। प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन् किया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 21.02.2024 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौके पर सीमा विवाद है तथा पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा –111 व 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 16/4 रकबा 1.1254 है0, ख0न0 17/1 रकबा 0.0126 है0, ग्राम तुरक्यावास तह0 जोबनेर का भूमि सीमा जानकारी के लिये भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मोमियाशीट/मदर मैप से पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक हिंगोनिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। नियमानुसार कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। कमिश्नर भू0अ0नि0 हिंगोनिया को पाबंद किया जाता है कि पत्थरगढी के दौरान प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पडौसी खातेदारों का कब्जा होने की स्थिति में कब्जे की सुपुर्दगी करने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं करें। साथ ही यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 हिंगोनिया जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार जोबनेर को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर